[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.30/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

सा.का.नि.... (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रिकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

3. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

[फा.सं. 20/06/16/2018 -जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार